मानव-रचित क़ानून और ईश्वरीय क़ानून

मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह०)

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

'अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यन्त दयावान है।'

मानव-रचित क़ानून और ईश्वरीय क़ानून

पिछले महीने दिसम्बर, सन् 1933 ई॰ के शुरू में अमेरिका के शराबबन्दी क़ानून (Prohibition Law) के रद्द किए जाने का बाक़ायदा एलान हो गया और लगभग चौदह सालों के बाद नई दुनिया के बाशिन्दों ने फिर 'थलीय धरातल' (शराब मुक्ति) से 'जलीय धरातल' (शराब पीने) की सीमाओं में क़दम रखा। अमेरिकी-गणतंत्र के राष्ट्रपति के पद पर मिस्टर रोज़वैल्ट का विराजमान होना 'थलीय धरातल' पर 'जलीय धरातल' की जीत का पहला एलान था। इसके बाद सबसे पहले अप्रैल, सन् 1933 ई॰ में एक क़ानून के द्वारा 2-3 प्रतिशत एल्कोहल की शराब को वैध किया गया, फिर कुछ महीने न बीते थे कि प्रजातान्त्रिक अमेरिकी संविधान के अठारहवें संशोधन ही को रद्द कर दिया गया, जिसके आधार पर संयुक्त राज्य की सीमाओं में शराब का ख़रीदना-बेचना, आयात-निर्यात और उसके उत्पादन और संरक्षण को अवैध कर दिया गया था।

क़ानून के द्वारा नैतिक और सामाजिक सुधार का यह सबसे बड़ा अनुभव था, जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। अठारहवें संशोधन से पहले कई साल तक एण्टी सैलून लीग (Anti-Saloon League) यानी शराब विरोधी संगठन पत्र-पत्रिकाओं, भाषणों, तस्वीरों, चित्रदर्शी किरणों, सिनेमा और बहुत-से दूसरे तरीक़ों से मद्य यानी शराब के हानिकारक पहलुओं को अमेरिकावासियों के ज़ेहन में बिठाने की कोशिश करता रहा और इस प्रचार में उसने पानी की तरह पैसा बहाया। अनुमान लगाया गया है कि अभियान की शुरुआत से लेकर सन् 1925 ई॰ तक प्रचार-प्रसार पर साढ़े छः करोड़ डॉलर ख़र्च हुए और शराब के ख़िलाफ़ जिस तरह लिट्रेचर (साहित्य)

प्रकाशित किया गया वह लगभग नौ अरब पृष्ठों पर आधारित था।

इसके अलावा मद्य-निषेध (शराबबन्दी) क़ानून की आलोचना के ख़र्च का बोझ पिछले चौदह साल में अमेरिकी क़ौम को सहन करना पड़ा, उसकी कुल तादाद 45 करोड़ पौण्ड बताई जाती है। अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्याय-विभाग ने जनवरी सन् 1920 ई॰ से अक्तूबर सन् 1933 ई॰ तक के जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं उनसे मालूम होता है कि इस क़ानून की आलोचना के सिलसिले में 200 आदमी मारे गए, 53435 व्यक्ति क़ैद किए गए। एक करोड़ साठ लाख पौण्ड के जुर्माने लगाए गए। चालीस करोड़ चालीस लाख पौण्ड के मूल्य की सम्पत्ति ज़ब्त की गई।

जान-माल के ये हौलनाक नुक़सान केवल इसलिए बर्दाश्त किए गए कि बीसवीं शताब्दी की इस "अति सभ्य" क़ौम को, जिसके ज्ञान का सूरज सिर की ऊँचाई पर पहुँचा हुआ है, हर बुराई की जननी (अर्थात् शराब) की अनगिनत आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और आर्थिक हानियों से अवगत किया जाए। किन्तु निषेध किए जाने से पहले कई साल और निषेध किए जाने के बाद कई साल की निरन्तर कोशिशें, जिनमें शासन की शक्ति भी सम्मिलित थी। अमेरिकी क़ौम के मद्यपान संकल्प के आगे नाकाम हो गईं और "विश्व-इतिहास का बड़ा सुधारवादी जिहाद" आख़िरकार नाकाम साबित हुआ।

शराबबन्दी की यह नाकामी और निषेध किए जाने के क़ानून को ख़त्म कर देना कुछ इस वजह से नहीं है कि शराब के वे नुक़सान जिनको दूर करने के लिए प्रचार-प्रसार और क़ानून की ताक़त इस्तेमाल की गई थी, अब फ़ायदों से बदल गए हैं या किसी नए ज्ञान और इल्म ने उन विचारों को ग़लत साबित कर दिया है जो पहले क़ायम किए गए थे। इसके विपरीत आज पहले से भी अधिक विस्तृत और बहुत ज़्यादा अनुभवों के आधार पर यह सच्चाई स्वीकार की जाती है कि वैश्यावृत्ति, व्यभिचार, समलैंगिकता (अर्थात् पुरुष का पुरुष से मैथुन करना), चोरी, जुआ, रक्तपात और ऐसे ही अन्य नैतिक बिगाड़ों से इस बुराई की जड़ शराब के निकटतम सम्बन्ध हैं, और पश्चिमी क़ौमों की नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की तबाही

में इसका बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद जिस चीज़ ने आज अमेरिकी सरकार को अपना क़ानून वापस लेने और अवैध को वैध कर देने पर मजबूर कर दिया है, वह सिर्फ़ यह है कि अमेरिकी समुदाय की विशाल बहुसंख्या किसी प्रकार शराब छोड़ने पर तैयार न हुई और वही जनता जिसके वोट ने अब से चौदह साल पहले यह चीज़ अवैध की थी अब उसको वैध करने पर हठ करने लगी।

जहाँ तक हमको मालूम है कि मद्यपान (शराब पीने) के नुक़सानात से किसी बड़े-से-बड़े शराब के समर्थक ने भी कभी इनकार नहीं किया और न कभी अवैधता के विरोधियों ने शराब की अच्छाइयों की कोई ऐसी सूची पेश की है जो इन बुराइयों की तुलना में कुछ भी वज़न रखती हो, जिस वक़्त अमेरिकी काँग्रेस में जनता की राय के समर्थन से संविधान का अठारहवाँ संशोधन पेश हुआ था उस समय शराब पीने और न पीने के सिलसिले में हर प्रकार का जाइज़ा ले लिया गया था और इन्हीं तमाम नुक़सानों और ख़राबियों को ध्यान में रखते हुए काँग्रेस ने वह संशोधन पेश किया था। 46 राज्यों ने इस संशोधन का समर्थन किया था। लोकसभा (House of Representative) और राज्यसभा (Senate) ने इस संशोधन के अनुसार 'निषेध-क़ानून' (Prohibition Act) पास किया था। यह सब कुछ अमेरिकी जनता की मरज़ी से हुआ और जब तक अवैध (निषेध) किए जाने का मामला काग़ज़ और ज़बान तक रहा जनता ख़ुशी-ख़ुशी इसका समर्थन करती रही। किन्तु जैसे ही यह अवैधता व्यावहारिक जगत् में आई तमाम अमेरिकी समुदाय का रंग बदल गया। सारी बुराइयों की जननी (शराब) की जुदाई में पहली रात बसर करते ही संसार की अति सभ्य, ज्ञानवान, जागृत, यथार्थप्रिय और विकसित क़ौम दीवानी हो गई और उसने पागलपन के जोश में वे हरकतें शुरू कीं जिससे सन्देह होता था कि यह क़ौम पूर्वीय शायरी के कपोल-कल्पित आशिक़ों की तरह वास्तव में अपना सिर फोर डालेगी।

अनुमति-प्राप्त शराबख़ानों के बन्द होते ही पूरे देश में लाखों गुप्त शराबख़ाने (Speak-easier and Blind Liquor) स्थापित हो गए, जिनमें क़ानून की पकड़ से बचकर शराब पीने-पिलाने, बेचने और ख़रीदने के

अजीब-अजीब तरीक़े अपनाए जाते थे। किसी व्यक्ति का अपने किसी मित्र या सम्बन्धी को किसी गुप्त शराबख़ाने और उसके सुनिश्चित संकेत (Password) का पता देना एक ख़ास उपकार का काम समझा जाता था। पहले तो सरकार लाइसेंस-प्राप्त शराबख़ानों की संख्या, उनकी शराबों की क़िस्में और उनमें आने-जानेवालों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती थी, किन्तु अब ये बदकारी के अड्डे उसकी निगरानी की हदों से आज़ाद थे। उनकी संख्या शराब को अवैध घोषित करने से पहले के अनुमतिप्राप्त शराबख़ानों से कई गुनी अधिक हो गई। उनमें हर प्रकार की ख़राब-से-ख़राब शराबें बेची जाने लगीं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक थीं। उनमें कम उम्र के लड़कों और लड़कियों की आवाजाही बहुत बढ़ गई। जिसके हौलनाक नतीजों से संयुक्त राज्यों के चिन्तकों में आम बेचैनी पैदा हो गई। शराब की क़ीमत पहले से कई गुनी ज़्यादा हो गई। शराब बेचने का धन्धा एक बड़ा लाभ देनेवाला धन्धा बन गया और हज़ारों-लाखों आदमी यही कारोबार करने लगे। चोरी-छिपे चलनेवाले शराबख़ानों के अलावा बड़ी तादाद में फेरी लगानेवाले शराब-विक्रेता (Boot Leggers) पैदा हो गए जो मानो चलते-फिरते शराबख़ाने थे। ये लोग स्कूलों, ऑफ़िसों, होटलों, मनोरंजन और सैर-सपाटे की जगहों यहाँ तक कि लोगों के घरों तक पहुँचकर शराब बेचने और नए-नए ग्राहक पैदा करने लगे। कम-से-कम अनुमान यह है कि शराबबन्दी से पहले के वक़्त की तुलना में शराबबन्दी के बाद के ज़माने में अमेरिका के शराब बेचनेवालों की संख्या दस गुनी अधिक हो गई। शहरों से गुज़रकर देहात तक में यह कारोबार फैल गया। गाँव-गाँव शराब निचोड़ने के चोरी-छिपे चलनेवाले कारख़ाने स्थापित हो गए। शराबबन्दी से पहले अमेरिका में अर्क़ निकालने के अनुमति-प्राप्त कारख़ानों की संख्या कुल चार सौ थी। शराबबन्दी के बाद सात साल के अन्दर 79427 कारख़ाने पकड़े गए। 93831 भट्ठियाँ पकड़ी गईं और फिर भी शराब बेचने के कारोबार में कोई कमी न आई। शराबबन्दी की निगरानी करनेवाले विभाग के एक भूतपूर्व कमिश्नर का बयान है कि– "हम कुल कारख़ानों और भट्ठियों का सिर्फ़ दसवाँ हिस्सा पकड़ सके।" इसी प्रकार शराब की मात्रा में भी

असाधारण अभिवृद्धि हुई। अनुमान लगाया गया है कि शराबबन्दी के ज़माने में अमेरिका के बाशिन्दे प्रतिवर्ष 20 करोड़ गैलन शराब पीने लगे थे। यह उपभोग-मात्रा शराबबन्दी से पहले की मात्रा से बहुत अधिक थी।

जो शराब इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाने लगी थी वह अपनी गुणवत्ता (क्वालिटी) की दृष्टि से भी निहायत घटिया दरजे की ख़राब और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी डॉक्टरों का बयान है–

"इस चीज़ को शराब के बजाए ज़हर कहना ज़्यादा सही है। इसके हलक़ से उतरते ही पेट और मस्तिष्क पर इसके ज़हरीले प्रभाव प्रकट होने लगते हैं और दो दिन तक स्नायुतंत्र (आसाब) इससे प्रभावित रहते हैं। इसके नशे में इनसान इस हालत में नहीं रहता कि वह किसी तरह ख़ुशी महसूस कर सके या ख़ुशी का कोई काम कर सके। बल्कि उसकी तबीअत उपद्रव और हंगामा मचाने और अपराध करने की तरफ़ झुक जाती है।"

इस प्रकार की शराबों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ने अमेरिकावालों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर डाला। मिसाल के तौर पर शहर न्यूयार्क के आंकड़ों से मालूम होता है कि शराबबन्दी से पहले सन् 1918 ई॰ में एल्कोहल के प्रभाव से बीमार होनेवालों की संख्या 3741 और मरनेवालों की संख्या 252 थी। सन् 1966 ई॰ में बीमार होनेवालों की संख्या ग्यारह हज़ार और मरनेवालों की संख्या साढ़े सात हज़ार तक पहुँच गई। इनके अलावा जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से शराब के असर से हलाक हुए या ज़िन्दा क़ब्र में चले गए उनकी संख्या का अनुमान नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार अपराधों, ख़ासकर बच्चों और जवानों के अपराधों में भी असाधारण अभिवृद्धि हुई । अमेरिका के जजों का बयान है कि "हमारे देश के इतिहास में इसका उदाहरण नहीं मिलता कि कभी इतनी अधिक संख्या में बच्चे नशे की हालत में गिरफ़्तार हुए हों।" जब कम उम्र के अपराध हद से बढ़ गए तो इसकी तहक़ीक़ात की गई और साबित हुआ कि सन् 1920 ई॰ से जवानों के अन्दर शराबख़ोरी और लड़ाई झगड़े व फ़साद करने में वर्ष-प्रति-वर्ष अधिकता होती जा रही है। यहाँ तक कि कुछ शहरों में आठ

साल के अन्दर 200% इज़ाफ़ा हुआ। सन् 1933 ई॰ में अमेरिका की 'राष्ट्रीय अपराध परिषद्' (National Crime Council) के डायरेक्टर कर्नल मूस (Col. Moos) ने बयान दिया कि इस समय अमेरिका के तीन आदमियों में से एक आदमी पेशेवर अपराधी है और हमारे यहाँ हत्या के अपराध में 350% इज़ाफ़ा हुआ है।

मतलब यह कि चौदह साल के अन्दर अमेरिका में क़ानूनी तौर पर शराबबन्दी के जो बुरे नतीजे ज़ाहिर हुए उनका खुलासा यह है–

* क़ानून का सम्मान दिलों से उठ गया और समाज के हर वर्ग में क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी की बीमारी फैल गई।

नशे को अवैध किए जाने का अस्ल मूल मक़सद भी हासिल न हुआ। बल्कि इसके विपरीत यह चीज़ अवैध होने के बाद उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी जितनी वैध होने के ज़माने में इस्तेमाल होती थी। शराबबन्दी क़ानून को लागू करने में सरकार का और चोरी-छिपे शराब ख़रीदने में जनता का बेहिसाब माली नुक़सान हुआ और एक देश की माली हालत तबाह होने लगी। बीमारियों की अधिकता स्वास्थ्य का विनाश, मृत्यु-दर में वृद्धि, जनसामान्य के आचरण में बिगाड़ समाज के सभी वर्गों और विशेषकर नई नस्लों में बुराई और ख़राबियों का बड़ी तादाद में प्रकाश में आना और अपराधों में असाधारण उन्नति ये उस क़ानून के सामाजिक और नैतिक फल थे।

ये परिणाम उस देश में हासिल हुए जो बीसवीं शताब्दी के अत्यन्त विकसित युग में सबसे ज़्यादा सभ्य देश समझा जाता है, जिसके निवासी उच्च श्रेणी के शिक्षित हैं, जिनके मास्तिष्क ज्ञान और तत्वदर्शिता की रौशनी से प्रकाशित हैं। जो अपने लाभ और हानि को समझने की पूरी योग्यता रखते हैं।

ये नतीजे उस हालत में ज़ाहिर हुए जबकि करोड़ों रुपए ख़र्च करके और कई अरब पत्र-पत्रिकाएँ और किताबें प्रकाशित करके सारी क़ौम को शराब के नुक़सानों से अवगत करा दिया गया था।

ये नतीजे इसके बावजूद ज़ाहिर हुए कि अमेरिकी क़ौम की एक बड़ी तादाद नशाबन्दी की ज़रूरत को स्वीकार कर चुकी थी और शराबबन्दी का क़ानून उसकी मरज़ी से पेश और पास हुआ था।

फिर ये नतीजे ऐसी हालत में सामने आए जबकि अमेरिका की यह अज़ीमुश्शान हुकूमत बीसवीं शताब्दी की बेहतरीन मशीनरी के साथ पूरे चौदह साल तक शराबनोशी और शराब ख़रीदने-बेचने को जड़ से ख़ातिमा करने पर लगी रही।

जब तक ये नतीजे ज़ाहिर न हुए थे सरकार और जनता दोनों की बड़ी अकसरियत शराबबन्दी पर सहमत थी, इसलिए शराब अवैध हो गई। किन्तु जब मालूम हुआ कि क़ौम किसी तरह शराब छोड़ने पर राज़ी नहीं है और ज़बरदस्ती शराब छुड़ाने का नतीजा पहले से भी ख़राब निकला है, तो उसी सरकार और जनता की अकसरियत शराब को वैध करने पर सहमत हो गई।

अब एक दृष्टि उस देश की हालत पर डालिए जो अब से साढ़े तेरह सौ साल पहले के सर्वाधिक अंधकारमय युग में सबसे अधिक अंधकारमय देश में गिना जाता था। उसके निवासी जाहिल (अज्ञानी), ज्ञान और सूझबूझ का नामोनिशान नहीं, सभ्यता और संस्कृति का पता नहीं। पढ़े-लिखों की संख्या शायद दस हज़ार में एक और वह भी ऐसे कि आजकल के कम पढ़े लिखे लोग भी उनसे अधिक ज्ञान रखते होंगे। वर्तमान युग की व्यवस्थित संस्थाएँ और संसाधन बिलकुल अप्राप्य, शासनिक व्यवस्था बिलकुल आरम्भिक हालत में और उसको स्थापित हुए कुछ साल से अधिक न हुए थे।

वहाँ के लोगों की दशा यह थी कि शराब के आशिक़, उनकी ज़बान पर शराब के लगभग ढाई सौ नाम पाए जाते थे, जिसका उदाहरण शायद दुनिया की किसी दूसरी भाषा में न मिलेगा जो शराब के साथ उनके असाधारण दिलचस्पी का प्रमाण है और इसका और अधिक प्रमाण उनकी शायरी है जिससे ज्ञात होता है कि शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी और जीवन की अनिवार्य वस्तु समझी जाती थी।

इस हालत में वहाँ शराब का मामला पेश होता है और अल्लाह के रसूल

(सल्ल०) से पूछा जाता है कि इस बारे में शरीअत (इस्लामी क़ानून) का क्या आदेश है? आप (सल्ल०) ने कहा कि ख़ुदा का आदेश है—

"ये तुझसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दो कि इन दोनों में बड़ी ख़राबी है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर उनका नुक़सान उसके फ़ायदे से ज़्यादा है।"

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-219)

यह कोई आदेश न था बल्कि सिर्फ़ शराब की कुछ हक़ीक़त बताई गई थी कि इसमें अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, किन्तु बुराई का पहलू बढ़ा हुआ है। इस शिक्षा का असर हुआ कि क़ौम के एक गरोह ने उसी वक़्त से शराब पीनी छोड़ दी। फिर भी एक बड़ी तादाद उसी तरह शराब की आदी रही।

फिर दोबारा शराब के बारे में आदेश पूछा गया। क्योंकि कुछ लोग नशे की हालत में नमाज़ पढ़ते और ग़लतियाँ कर जाते थे। इसपर अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने रब की तरफ़ से यह आदेश सुनाया—

"ऐ ईमान लानेवालो! नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब मत जाओ (नमाज़ तुमको उस हालत में पढ़नी चाहिए जबकि) तुम जान सको कि क्या कह रहे हो।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-43)

यह हुक्म सुनते ही लोगों ने शराब पीने के लिए वक़्त तय कर लिए और आम तौर पर फ़ज्र (प्रभात काल) और ज़ुहर (मध्यान्ह) के बीच या इशा (रात की नमाज़) के बाद शराब पी जाने लगी ताकि नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने की नौबत न आए या नशे की वजह से नमाज़ न छोड़नी पड़े।

लेकिन शराब का असली नुक़सानवाला पहलू अभी बाक़ी था। नशे की हालत में लोग फ़साद बरपा करते थे और शोर-शराबे तक नौबत पहुँच जाती थी। इसलिए लोगों ने फिर चाहा कि शराब के बारे में साफ़ और दो टूक हुक्म दिया जाए। इस पर आदेश हुआ—

"ऐ ईमानवालो! शराब और जुआ और बुत और पाँसे ये सब शैतान की पैदा की हुई गन्दगियाँ हैं। अतः तुम इन से बचो। उम्मीद

है कि इस परहेज़ से तुमको कामयाबी नसीब होगी। शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफ़रत पैदा कर दे और तुमको अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे। क्या यह जान लेने के बाद अब तुम इनसे बचोगे? अल्लाह के आदेश पर चलो और रसूल की बात मानो और रुक जाओ। लेकिन अगर तुमने सरकशी दिखाई तो जान लो कि हमारे पैग़म्बर का काम केवल इतना ही है कि पैग़ाम को साफ़-साफ़ बयान कर दे।"

(क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयतें-90-92)

यह आदेश आना था कि वही शराब के रसिया और अंगूर की बेटी यानी अंगूर की शराब के आशिक़ जो इस चीज़ के नाम पर जान देते थे, यकायक उससे नफ़रत करने लगे। शराब के अवैध होने की मुनादी सुनते ही शराब के मटके तोड़ दिए गए। मदीने की गलियों में शराब के नाले बह गए। एक महफ़िल में शराब पी जा रही थी और दस-ग्यारह लोग शराब के नशे में चूर थे, इतने में अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल॰) की मुनादी की आवाज़ कानों में पहुँची कि शराब अवैध (हराम) कर दी गई है। उसी नशे की हालत में अल्लाह के आदेश का इस तरह पालन किया गया कि फ़ौरन शराब का दौर रुक गया और मटके तोड़ डाले गए। एक व्यक्ति का बयान है कि वह शराब पी रहा था। मुँह से प्याला लगा हुआ था, तभी किसी ने आकर नशे के हराम किए जाने की आयत (आदेश) पढ़ी। फ़ौरन प्याला उसके होंटों से अलग हो गया और फिर एक बूँद भी गले के नीचे न उतरी। इसके बाद जिस किसी ने शराब पी उसको जूतों, लकड़ियों, लात, मुक्कों से पीटा गया। फिर चालीस कोड़ों की सज़ा दी गई। फिर इस गुनाह के लिए 80 कोड़ों की सज़ा तय कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि अरब से शराब का नामोनिशान मिट गया। फिर इस्लाम जहाँ पहुँचा उसने क़ौमों (समुदायों) के आप-से-आप शराब से दूर रहनेवाला बना दिया, यहाँ तक कि आज भी जबकि इस्लाम का असर बहुत कमज़ोर हो चुका है, दुनिया में करोड़ों इनसान ऐसे बसते हैं जो किसी क़ानून और किसी सज़ा के बिना शराब से बिलकुल बचे हुए हैं। मुसलमान क़ौम में अगर गिनती करके देखा जाए कि शराब पीनेवालों की संख्या का

औसत प्रतिशत क्या है तो शायद यह क़ौम अब भी दुनिया की तमाम क़ौमों से ज़्यादा परहेज़गार यानी शराब से दूर रहनेवाली पाई जाएगी। फिर इस क़ौम में जो लोग शराब पीते भी हैं, वे भी इसको गुनाह समझते हैं। दिल से अपने इस बुरे काम पर शर्मिन्दा होते हैं और कभी-कभी ख़ुद ही तौबा कर लेते हैं।

अक़्ल और हिकमत के क्षेत्र में आख़िरी फ़ैसला तजुर्बे और निरीक्षण पर निर्भर होता है। इस सच्चाई को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। अब आपके सामने एक अनुभव (तजुर्बा) अमेरिका का है और दूसरा तजुर्बा इस्लाम का। दोनों का अन्तर बिलकुल साफ़ है और यह आपका काम है कि इनकी तुलना करके इससे शिक्षा प्राप्त करें।

अमेरिका में कई सालों तक शराब के ख़िलाफ़ प्रचार किया गया, करोड़ों रुपए उसके नुक़सानों का प्रचार करने पर ख़र्च किए गए। चिकित्सीय कला से, आकड़ों के सुबूतों से, अक़्ली दलीलों से, उसकी शारीरिक, नैतिक, आर्थिक नुक़सानों को इस तरह साबित किया गया कि उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तस्वीरों के ज़रिए शराब के नुक़सानों को खुली आँखों से दिखा दिया गया। और पूरी कोशिश की गई कि लोग ख़ुद उसकी ख़राबियों के क़ायल होकर उसको छोड़ देने पर तैयार हो जाएँ। फिर राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करनेवाला गरोह (यानी काँग्रेस) ने बहुसंख्या के साथ शराबबन्दी का फ़ैसला किया और इसके लिए क़ानून पास कर दिया। फिर सरकार ने (और उस सरकार ने जो इस समय विश्व की सर्वोच्च शक्तियों में से है) उसके ख़रीदने-बेचने, बनाने व महफ़ूज़ करके रखने आयात-निर्यात रोकने के लिए अपनी सारी ताक़तें लगा डालीं। मगर क़ौम (और वह क़ौम जो इस समय शिक्षित और रौशन ख़याल क़ौमों की पहली पंक्ति में है) उसको छोड़ने पर तैयार न हुई तो चौदह-पन्द्रह साल की कम मुद्दत ही में क़ानून मजबूर हो गया कि अवैध को फिर से वैध कर दे।

दूसरी ओर इस्लाम में शराब के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगंडा नहीं किया गया। प्रसारण और प्रकाशन पर एक पैसा भी ख़र्च न हुआ। कोई नशा-विरोधी संगठन नहीं बनाया गया। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने बस इतना कहा कि

अल्लाह ने तुम्हारे लिए शराब अवैध कर दी है और जैसे ही यह आदेश मुँह से निकला तमाम क़ौम (और वह क़ौम जो शराब के इश्क़ में अमेरिका से बढ़कर थी, किन्तु परिभाषिक ज्ञान और बुद्धि में उनसे कोई मुक़ाबला न रखती थी।) शराब से रुक गई। और ऐसी रुकी कि जब तक वह इस्लाम के दायरे में है उसका शराब पीना मुमकिन नहीं है। शराब से बचे रहने के लिए वह किसी प्रशासन, किसी निगराँ और किसी सज़ा के क़ानून की मुहताज नहीं है। अगर कोई रोकने और सज़ा देनेवाली ताक़त मौजूद न हो तब भी उससे रुकी रहेगी और फिर यह बात भी नहीं है कि शराब पीने पर यह पाबन्दी किसी तरह हटाकर शराब पीने की इजाज़त दी जा सकती हो। अगर सारी दुनिया के मुसलमान एक राय होकर शराब के समर्थन में वोट दें तब भी यह पाबन्दी कभी ख़त्म नहीं हो सकती।

ऊपर बयान किए गए इस बड़े अन्तर की वजहों पर ग़ौर करेंगे तो इससे कुछ ऐसी बातें मालूम होंगी, जो न केवल शराब के बारे में, बल्कि क़ानून और नैतिकता के सारे मामलों में बुनियादी उसूल की हैसियत रखती हैं।

सबसे पहली बात यह है कि इनसानी मामलों की व्यवस्था में इस्लाम और दुनिया के क़ानूनों के बीच बुनियादी फ़र्क़ है। दुनिया के क़ानूनों का दारोमदार पूरी तरह से इनसानी राय पर है, इसलिए वह न सिर्फ़ अपनी उसूली बातों में बल्कि हर छोटी-छोटी बातों में आम जनता या ख़ास लोगों की राय मालूम करने पर मजबूर हैं और इनसानी राय का (चाहे वह आम जनता की हो या ख़ास लोगों की) हाल यह है कि वह हर पल इनसानी इच्छाओं, रुझानों, बाहरी कारणों और कारकों और ज्ञान एवं अक़्ल के बदलते रहनेवाले आदेशों से (जो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हों) प्रभावित होती रहती है। इन प्रभावों से राय और विचारों में बदलाव होता रहता है। इस परिवर्तन से ज़रूरी तौर पर अच्छे और बुरे, सही और ग़लत, उचित और अनुचित, अवैध और वैध के पैमाने बदलते रहते हैं। और इसके बदलने के साथ ही क़ानूनों को भी बदल जाना पड़ता है। इस तरह नैतिकता और संस्कृति का कोई मज़बूत और न बदलनेवाला पैमाना क़ायम नहीं होने पाता। इनसान की सोच और राय का बदलना क़ानून पर राज करता है और क़ानून

का बदलाव इनसानी जीवन पर। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई नौसिखिया मोटर कार चला रहा हो और उसके नातजुर्बेकार हाथ बेढंगे तरीक़े से स्टेयरिंग को कभी इधर और कभी उधर घुमा रहे हों। उसके उन बेढंगे घुमावों का नतीजा यह होगा कि मोटर की रफ़्तार भी बेढंगी और टेढ़ी होगी। वह स्थिरता के साथ किसी एक ख़ास रास्ते पर न चल सकेगी और जब वह आड़ी-तिरछी गति से चलेगी तो ख़ुद चलानेवाले लोगों ही पर उसका असर पड़ेगा। कभी वे सीधे रास्ते पर होंगे और कभी टेढ़े रास्ते पर, कहीं किसी गड्ढे में जा गिरेंगे, कहीं किसी दीवार से टकराएँगे और कहीं उतार-चढ़ाव के धचके खाएँगे।

इसके विपरीत इस्लाम में क़ानून और शिष्टाचार के सभी उसूल पूरे के पूरे और इनके छोटे-छोटे भागों में से ज़्यादातर अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के तय किए हुए हैं। इनसानी राय का ज़र्रा बराबर भी उसमें दख़ल (हस्तक्षेप) नहीं है और छोटी-मोटी बातों में किसी हद तक दख़ल है भी तो वह केवल इतना है कि जीवन के बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए हम उन बुनियादी उसूलों और छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में पाई जानेवाली नज़ीरों से मौक़े के मुताबिक़ नए अंशीय आदेश तय करते रहें, जिनको लाज़मी तौर पर शरीअत के उसूलों के मुताबिक़ होना चाहिए। इस ईश्वरीय क़ानूनसाज़ी का नतीजा यह है कि हमारे पास शिष्टाचार और संस्कृति का एक स्थाई और न बदलनेवाला पैमाना मौजूद है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक क़ानूनों में बदलाव का नामोनिशान तक नहीं है। हमारे यहाँ कल का अवैध आज का वैध और कल फिर अवैध नहीं हो सकता। यहाँ तो जो अवैध कर दिया गया वह सदैव के लिए अवैध है और जो वैध कर दिया गया वह क़ियामत (महाप्रलय) तक वैध है। हमने अपनी मोटर कार की स्टेयरिंग एक माहिर के हाथ में दे दिया है, अब हम निश्चिंत हैं कि वह गाड़ी को सीधे रास्ते पर ही चलाएगा—

> "अल्लाह ईमान लानेवालों को एक पक्की बात के द्वारा लोक (दुनिया) और परलोक (आख़िरत) के जीवन में स्थिरता और सुकून

बख़्शता है और नाफ़रमान अत्याचारियों को भटका देता है कि कहीं जम नहीं सकते।"   (क़ुरआन, सूरा-14 इब्राहीम, आयत-27)

इसमें एक दूसरा अहम बिन्दु भी है। दुनिया की ताक़तें इनसानी जीवन के लिए सिद्धान्त बनाने और शिष्टाचार, समाज और संस्कृति का सुधार करने के लिए हमेशा इसकी मुहताज रहती हैं कि हर छोटे-छोटे (अंशीय) मामलों में पहले आम जनता को सुधार के लिए तैयार (राज़ी) करें फिर अमल की तरफ़ क़दम बढ़ाएँ। उनके क़ानून की हर धारा अपने लागू होने के लिए आम जनता की मर्ज़ी पर निर्भर हुआ करती है और जिस पारिभाषिक या प्रबंधकीय क़ानून को आम जनता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लागू कर दिया गया हो उसे बड़ी-बड़ी ख़राबियों के बाद निरस्त करना पड़ता है। यह न केवल अमेरिका का तजुर्बा है, बल्कि दुनिया के तमाम तजुर्बे इस बात पर गवाही दे रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुनिया के क़ानून हक़ीक़त में शिष्टाचार और समाज के सुधार के बारे में बिलकुल नाकारा (व्यर्थ) हैं। वे जिन बिगड़े हुए लोगों का सुधार करना चाहते हैं उन्हीं की मर्ज़ी पर उन क़ानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति और लागू या रद्द हो जाना निर्भर है।

इस्लाम ने इस परेशानी को एक-दूसरे तरीक़े से हल किया है और आप विचार करेंगे तो मालूम होगा कि इस परेशानी का इसके सिवा कोई हल नहीं है। वह संस्कृति, समाज और शिष्टाचार की समस्याओं को छेड़ने और शरीअत के क़ानूनों का पालन करने की माँग करने से पहले इनसान को आमंत्रित करता है कि ईश्वर और उसके पैग़म्बर (रसूल) और उसकी किताब पर ईमान (सुदृढ़ विश्वास) ले आए। यह बात निस्सन्देह इनसान की प्रसन्नता और मर्ज़ी पर निर्भर है कि वह ईमान लाए या न लाए। किन्तु जब वह ईमान ले आया तो उसकी मर्ज़ी और नामर्ज़ी का कोई प्रश्न बाक़ी न रहा। अब ईश्वर की तरफ़ से उसका पैग़म्बर (रसूल) जो भी आदेश दे और ईश्वर की किताब जो क़ानून तय करे उसका अनिवार्य कर्तव्य है कि वह उसका पालन करे। इस एक उसूल के स्थापित हो जाने के बाद इस्लामी शरीअत के तमाम क़ानून उसपर लागू हो जाएँगे और किसी छोटे या बड़े मामले में उसकी मर्ज़ी या नामर्ज़ी का दख़ल न होगा। यही वजह है कि

अमेरिका में जो काम करोड़ों-अरबों रुपए के ख़र्च और बेमिसाल प्रचार-प्रसार और सरकार की ज़बरदस्त कोशिशों के बावजूद न हो सका वह इस्लामी दुनिया में ईश्वर (अल्लाह) की ओर से अल्लाह के पैग़म्बर के सिर्फ़ एक एलान से हो गया।

तीसरी शिक्षाप्रद बात यह है कि कोई इनसानी समूह चाहे कितना ही ज्ञान और कला की रौशनी से परिपूर्ण हो और चाहे बौद्धिक उन्नति के आसमान ही पर क्यों न पहुँच जाए, अगर वह ईश्वरीय क़ानूनों के अधीन न हो और ईमान की शक्ति न रखता हो तो कभी भी मन की इच्छा के चंगुल से वह नहीं निकल सकता। उसपर मन की इच्छाओं का ग़लबा इतना ज़्यादा होगा कि जिस चीज़ पर उसका मन झुकेगा उसके नुक़सान अगर सूरज से भी ज़्यादा रौशन करके दिखा दिए जाएँ अगर उसके ख़िलाफ़ साइंस (यानी बुद्धि के पुजारियों के देवता) को भी गवाह बनाकर ला खड़ा किया जाए, अगर उसके मुक़ाबले में आंकड़ों की भी गवाही पेश कर दी जाए (जो तत्वदर्शियों की निगाह में हर जगह झूठी नहीं हो सकती) यदि उसकी ख़राबियाँ तजुर्बों और अवलोकनों से भी साबित कर दी जाएँ तब भी वह अपने मन की पसन्द को कभी न छोड़ेगा। इससे मालूम होता है कि इनसान में नैतिक हिस पैदा करना और उसकी अन्तरात्मा को मज़बूत करना और उसमें इतनी शक्ति भर देना कि वह अपने मन पर क़ाबू पा ले न ज्ञान और हिकमत के बस की बात है और न बुद्धि-मस्तिष्क की। यह काम सिवाए ईमान (ईश्वर पर दृढ़ विश्वास) के और किसी चीज़ के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। (तर्जमानुल-क़ुरआन जनवरी, 1934 ई॰)